[2020] 1 एस.सी.आर. 441

मैसर्स फेयर कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट्स एंड एएनआर।

बनाम

सुरेंद्र केर्डिले

(2010 की सिविल अपील संख्या 106)

20 जनवरी, 2020

[इंदिरा बनर्जी और एस. रवीन्द्र भट्ट, जे.जे.]

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 - उपधारा 3, 4 - प्रतिवादी ने अपने फ्लैट के निपटान के लिए अपने वकील के रूप में अपने भतीजे-दूसरे अपीलकर्ता (प्रथम अपीलकर्ता के एकमात्र मालिक) को नियुक्त किया - बेचने के लिए एक समझौता 03.07.89 को दर्ज किया गया था जिसमें विचार किया गया था फ्लैट 2,30,000/- रुपये का था - हालाँकि, 30.11.89 को किए गए एक दूसरे समझौते में 1,30,000/- रुपये की कम कीमत बताई गई थी - इसके अलावा, दूसरा अपीलकर्ता अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए 80,000/- रुपये चाहता था - प्रतिवादी द्वारा दिया गया - दूसरे अपीलकर्ता ने पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए जो बैंकर द्वारा प्रतिवादी को लौटा दिए गए - प्रतिवादी ने 80,000/- रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया - दूसरे अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने राशि तुरंत वापस कर दी लेकिन प्रतिवादी ने चेक वापस नहीं किए - मुकदमा खारिज - प्रतिवादी द्वारा दायर अपील के दौरान, वाद में संशोधन के लिए आवेदन भी दायर किए गए थे - उच्च न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया - अपील पर, आयोजित: दिनांक 03.07.89 के समझौते के अनुसार फ्लैट के लिए प्रतिफल 2,30,000/- रुपये था। - इसे दूसरे अपीलकर्ता ने अपने बयान में स्वीकार किया था - यह भी निर्विवाद है कि क्रेता (जिसने अंततः लेनदेन को अंतिम रूप दिया) के साथ मूल समझौता दिनांक 03.07.89 का है - प्रतिवादी ने जिरह के दौरान मामले को अपीलकर्ता के सामने रखा था जिसने स्वीकार किया था दस्तावेज़, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक फोटोकॉपी थी - प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उस दस्तावेज़ का मूल क्रेता के पास था - इसे अस्वीकार नहीं किया गया था - एक बार इन्हें स्वीकार कर लिया गया, परिणामी संशोधन की मांग करने के लिए प्रतिवादी को दोष नहीं दिया जा सकता, विशुद्ध रूप से औपचारिक,

उनके इस तर्क के समर्थन में कि अपीलकर्ता को 80,000/- रुपये उधार देने के बाद पर्याप्त धन था, जो उनके खाते में जमा किया गया था - इसके अलावा, यह तर्क कि बेनामी अधिनियम द्वारा निषिद्ध निषिद्ध लेनदेन के आधार पर वास्तविक प्रतिफल पर रोक लगाने के बारे में प्रतिवादी की दलील , कोई योग्यता नहीं है - प्रतिवादी ने खरीदार से किसी भी राशि की वापसी का दावा नहीं किया; मुकदमा किसी बेनामी लेन-देन की जांच से जुड़ी किसी दलील पर आधारित नहीं था - यह स्थापित करने की जिम्मेदारी कि लेन-देन बेनामी है, उस पर है जो इस पर दावा करता है - अपीलकर्ताओं ने यह साबित नहीं किया कि लेन-देन (जिसमें वे पक्षकार नहीं थे) बेनामी था - उनका तर्क केवल यह कहा जा सकता है कि लेनदेन 1,30,000/- रुपये से अधिक का नहीं था: धन डिक्री के मुकदमे में बचाव के संदर्भ में - आक्षेपित निर्णय में निष्कर्ष उचित हैं।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:

वादी ने जिरह के दौरान मामले को अपीलकर्ता/प्रतिवादी के समक्ष रखा था। उत्तरार्द्ध ने, आश्चर्यजनक रूप से, दस्तावेज़ को स्वीकार कर लिया, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक फोटोकॉपी थी। वादी ने तर्क दिया था कि उस दस्तावेज़ का मूल क्रेता के पास था: इससे इनकार नहीं किया गया था। एक बार इन्हें स्वीकार कर लिया गया, तो रुपये उधार देने के बाद, वादी को अपने तर्क का समर्थन करने के लिए परिणामी संशोधन की मांग करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, जो पूरी तरह से औपचारिक था। प्रतिवादी को 80,000/- रूपये दिये गये, जो उसके खाते में जमा किये गये। यह तर्क कि वास्तविक प्रतिफल वर्जित होने के संबंध में वादी की याचिका में कोई दम नहीं है। वादी ने खरीदार से किसी भी राशि की वापसी का दावा नहीं किया; यह मुकदमा किसी बेनामी लेनदेन की जांच से जुड़ी किसी याचिका पर आधारित नहीं है। इसके अलावा, वादी बेनामी मालिक के रूप में कोई दावा नहीं कर रहा है, न ही बचाव का आग्रह कर रहा है कि उसके द्वारा दावा की गई कोई भी संपत्ति या राशि बेनामी लेनदेन है। इसलिए, प्रतिवादी अपीलकर्ता का तर्क स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक है। यह स्थापित करने की जिम्मेदारी कि कोई लेनदेन बेनामी है, उस पर दावा करने वाले पर है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने यह साबित नहीं किया कि लेनदेन (जिसमें वे पक्षकार नहीं थे) बेनामी था; इसके विपरीत, अपीलकर्ता का तर्क केवल यह था कि लेनदेन रुपये से अधिक के प्रतिफल के लिए नहीं कहा जा सकता। 1,30,000/-: धन डिक्री के मुकदमे में बचाव के संदर्भ में। प्रतिवादी/अपीलकर्ताओं ने कभी नहीं कहा कि वादी या क्रेता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति

वास्तविक मालिक था; न ही संपत्ति में रुचि, वसूली मुकदमे की विषय वस्तु थी। [पैरा 16-18, 20 और 21] [449-डी; 450-ए-बी, एच; 452-ई]

वल्लियाम्मल (डी.) एलआर बनाम सुब्रमण्यम और अन्य द्वारा। **(2004) 7 एससीसी 233 : [2004] 3 पूरक। एससीआर 966 - पर भरोसा किया गया।**

बीनापानी पॉल बनाम प्रतिमा घोष एवं अन्य। **(2007) 6 एससीसी 100 : [2007] 5 एससीआर 946 - संदर्भित।**

केस लॉ संदर्भ

[2004] 3 पूरक एससीआर 966	**पैरा 20**	**पर भरोसा करता है**
[2007] 5 एससीआर 946	**पैरा 20**	**करने के लिए भेजा**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में संदर्भित है: 2010 की सिविल अपील संख्या 106।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 13.03.2008 से , 1995 के एफ.ए. संख्या 280 में इंदौर में बेंच।

संतोष कुमार, शेखर कुमार (मुश्ताक अहमद के लिए), वकील। अपीलकर्ताओं के लिए.

पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, हर्ष जैन, अभिनव देशवाल, पंकज शर्मा (सुश्री प्रतिभा जैन के लिए), सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय **एस. रवीन्द्र भट्ट, जे**. द्वारा सुनाया गया।

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय के एक निर्णय को चुनौती देती है, जिसके द्वारा रुपये की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया था। अपील में 80,000/- का फैसला सुनाया गया। आक्षेपित निर्णय ने XIII अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इंदौर (इसके बाद "ट्रायल कोर्ट™) के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया।

2. वादी (वर्तमान मामले में प्रतिवादी, जिसे इसके बाद "सुरेंद्र" के रूप में संदर्भित किया गया है) प्रतिवादी-दूसरे अपीलकर्ता (इसके बाद उसके नाम को "संजय" के रूप में संदर्भित किया गया है) का मामा है। संजय प्रथम अपीलकर्ता/प्रतिवादी (मैसर्स फेयर कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेंट्स) के एकमात्र मालिक भी हैं। सुरेंद्र ने रुपये की वसूली का दावा करने के लिए मुकदमा दायर किया। 1,08,000/- का आरोप है कि संजय और उनकी प्रोपराइटरशिप फर्म पर उधार दिया गया पैसा

बकाया है। सुरेंद्र जाहिर तौर पर नासिक के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा इंदौर में पूरी की थी। वह नासिक में कार्यरत एक इंजीनियर था और उसके पास कुछ जमीन और एक फ्लैट (एमआईजी स्कीम नंबर 54, इंदौर) था। चूंकि सुरेंद्र अंततः नासिक में बसना चाहता था, इसलिए उसने इंदौर में रहने वाले संजय को पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में नियुक्त किया और उस उद्देश्य के लिए 30.09.1989 को संजय के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) का एक दस्तावेज निष्पादित किया। संजय ने 30.11.1989 को निरंजन सिंह नागरा ("खरीदार") को संपत्ति बेचने के लिए एक समझौता किया और रुपये की राशि प्राप्त की। 50,000/- बयाना राशि के रूप में। सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि संजय ने उन्हें 29.01.1990 को इंदौर बुलाया और अनुरोध किया कि बेचने का समझौता सीधे खरीदार के पक्ष में निष्पादित किया जाना चाहिए और समझौते के निष्पादन के समय, खरीदार ने रुपये का भुगतान किया था। 80,000/-. यह रकम संजय ने लौटा दी थी। सुरेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि खरीदार ने संजय को दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने का अनुरोध किया। संजय ने सुरेंद्र से रुपये की अग्रिम राशि मांगी। 80,000/- अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए, जिसे वह प्रथम प्रतिवादी स्वामित्व चिंता की शैली के तहत चला रहा था। संजय ने वादी को आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही रकम लौटा देगा। तदनुसार, रु. वादी (सुरेन्द्र) द्वारा संजय को 80,000/- रूपये दिये गये थे।

3. संजय ने रुपये की राशि के लिए तीन पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए। 16,500/- रु. 3,500/- और रु. 60,000/- सभी दिनांक 16.02.1990, भारतीय स्टेट बैंक, इंदौर शाखा पर आहरित। नियत तारीख से पहले, संजय ने वादी (सुरेंद्र) से कुछ महीनों के लिए वसूली के लिए चेक प्रस्तुत न करने का अनुरोध किया; इस अनुरोध का अनुपालन किया गया. जब चेक प्रस्तुत किए गए, तो बैंकर ने वादी (सुरेंद्र) को लौटा दिए। इन परिस्थितियों में, रुपये की वसूली के लिए मुकदमा। 80,000/- (मुकदमा दायर करने की तारीख तक 12% की दर से ब्याज सहित और परिणामस्वरूप भविष्य के ब्याज के लिए, संस्थित किया गया।

4. संजय ने अपने लिखित बयान में मुकदमे के आरोपों से इनकार किया। हालांकि, लिखित बयान जीपीए के निष्पादन या उसने वादी की ओर से, निरंजन सिंह नागरा के साथ बेचने के समझौते में प्रवेश किया था और बयाना राशि के रूप में 50,000/- रुपये प्राप्त किए थे, इस पर कोई विवाद नहीं किया। लिखित बयान में इस बात से भी इनकार नहीं किया गया कि संजय ने अनुरोध किया था सुरेंद्र को 80,000/- रुपये का ऋण दिया गया था जो उसे दिया गया था। हालांकि, बचाव में, संजय ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र ने उसे उसी दिन यानी 30.01.1990 को राशि वापस करने के लिए कहा, जो उसने किया। लिखित बयान में तब आरोप लगाया गया संजय

ने बार-बार तीन चेक वापस करने को कहा लेकिन मामा होने के नाते वादी ने तीनों चेक अपने पास रखने की जिद की और बड़ा रिश्तेदार होने का दबाव बनाया। लिखित बयान में यह भी आरोप लगाया गया कि संजय को चेक वापस करने का आश्वासन दिया गया था। अगले दिन लौटा दिया जाएगा; हालाँकि उन्हें कभी वापस नहीं किया गया।

5. मुद्दे तय करने और साक्ष्य दर्ज करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट की राय थी कि साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि रुपये की राशि। सुरेंद्र ने अपने बैंक खाते में 80,000/- रुपये जमा किए थे और यह स्थिति, संजय की इस दलील का समर्थन करती है कि राशि तुरंत वापस कर दी जाए। ट्रायल कोर्ट की यह भी राय थी कि बिक्री पर विचार के लिए प्राप्त राशि में विसंगति, वादी के दावे की सत्यता के बारे में संदेह पैदा करती है। मुकदमा खारिज होने से दुखी सुरेंद्र ने हाईकोर्ट में अपील की। अपील के दौरान, वादपत्र में दलील और राहत खंड में संशोधन की मांग करने वाले दो आवेदन मांगे गए थे।

6. उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों को समग्र रूप से पढ़ने के बाद पहले आवेदनों और फिर गुणों पर विचार करते समय विचार के लिए तीन बिंदु तय किए: वे सबसे पहले, मुकदमे की संपत्ति की बिक्री पर विचार - यदि यह रुपये के लिए थी। 2,30,000/-रु. नहीं. 1,30,000/-; दूसरे, क्या इस तरह के तथ्य को मुकदमे में वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाना था और अंत में, क्या ऐसी दलील के अभाव में, संशोधन के लिए आवेदन की अनुमति देना आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की प्रकृति का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि चूंकि संजय ने बेचने के समझौते पर हस्ताक्षर, साथ ही वादी के जीपीए को स्वीकार किया था, भले ही दस्तावेज़ एक फोटोकॉपी था, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

7. आक्षेपित निर्णय में यह भी तर्क दिया गया कि इसमें कोई विवाद नहीं था कि वादी (सुरेंद्र) द्वारा 30.01.1990 को निरंजन सिंह नागरा के पक्ष में बिक्री का एक और समझौता निष्पादित किया गया था, जहां बिक्री प्रतिफल रुपये दिखाया गया था। 1,30,000/-. बिक्री भी निर्विवाद रूप से 31.01.1990 को पूरी हो गई। यह माना गया कि इन परिस्थितियों में, वादी के पास रु। 30.01.1990 को 1,80,000/-, जिससे स्पष्ट रूप से पता चला कि लेनदेन के लिए वास्तविक प्रतिफल रु. था। 2,30,000/-, हालांकि बाद में निष्पादित दस्तावेज़ में कम मूल्य रु. दर्शाया गया था। 1,30,000/-. अदालत ने कहा कि सुरेंद्र ने अनुबंध (बिक्री के लिए) के आधार पर राहत पाने के लिए इन परिस्थितियों पर भरोसा नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने तब तर्क दिया

कि इन दस्तावेजों की आवश्यकता केवल प्रतिवादियों के रुपये की वापसी के दावे पर उनके प्रभाव पर विचार करने के लिए थी। 80,000/-.

8. उच्च न्यायालय ने अपने आक्षेपित फैसले में वादी के इस तर्क को बरकरार रखा कि उसके पास अग्रिम रुपये देने के लिए पर्याप्त राशि थी। संजय को 80,000/- रु. उसके पास बैंक खाते में राशि जमा करने के लिए पर्याप्त धनराशि भी थी, जिसके लिए खाते का विवरण, उदा. डी/1 रिकॉर्ड पर था. यह देखते हुए कि लेनदेन के लिए वास्तविक प्रतिफल रु. 2,30,000/-, यह तथ्य कि कुछ राशि बैंक खाते में जमा की गई थी, किसी भी तरह से मुकदमे के दावे से कम नहीं हुई। इसलिए, अदालत ने माना कि जमा राशि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, कि राशि का भुगतान संजय को किया गया था जिसने तीन चेक जारी किए थे। इसके बाद उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला और इस प्रकार कहा: -

"15. *चूंकि उत्तरदाताओं द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा 80,000/- रुपये की ऋण राशि 30/01/ बी 90 को दी गई थी और विवाद केवल यह है कि क्या राशि प्रतिवादी संख्या द्वारा वापस की गई थी। 2 अपीलकर्ता को उसी दिन नहीं, महत्वपूर्ण दस्तावेज पूर्व हैं। पी/1 से पी/3, चेक और 60,000/- रुपये की रसीद। पी/9, जो प्रतिवादी संख्या द्वारा जारी किया गया था। 2 अपीलार्थी के पक्ष में। जब प्रतिवादी संख्या द्वारा राशि वापस दे दी गई। 2 अपीलकर्ता को उसी दिन, तो यह आश्चर्य की बात है कि रसीद पूर्व क्यों। पी/9 और चेक पूर्व। पी/1 से पी/3 को प्रतिवादी क्रमांक द्वारा वापस नहीं लिया गया। 2 अपीलार्थी से एवं राशि की वापसी की रसीद क्यों नहीं ली गई। इसके अलावा यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि डी का चेक क्यों दिया गया। 30,000/- पूर्व. पी/8 प्रतिवादी संख्या द्वारा दिया गया था। अपीलकर्ता को 2. ये सभी दस्तावेज़ बिना किसी संदेह के दिखाते हैं कि अपीलकर्ता जो प्रतिवादी संख्या का मामा है। 1 ने प्रतिवादी संख्या को 80,000 रुपये की राशि उधार दी। 2, जिसके बदले में चेक EX. पी/एल से पी/3 को प्रतिवादी संख्या द्वारा वापस नहीं लिया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 के स्वामी के रूप में। 1 और राशि प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता को वापस कर दी गई। === 16. इसे ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार की जाती है। सिविल वाद क्रमांक 98-बी/93 में विद्वान तेरहवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इंदौर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22/07/95 को निरस्त किया जाता है। उत्तरदाताओं को 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 80,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। 16/02/90 दो महीने की अवधि के साथ, ऐसा न करने पर उत्तरदाता उपरोक्त राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। उत्तरदाता पूरी लागत के लिए भी उत्तरदायी होंगे।"*

9 अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री संतोष कुमार द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने सबूतों की सराहना करने में त्रुटि की है और वादी जिरह में एक पूरी तरह से नए मामले के साथ आगे आया था, जिसका समर्थन नहीं किया गया था। दलीलें। उन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण था क्योंकि इसमें अस्वीकार्य दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था और विशेष रूप से उनकी सराहना के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए थे। इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि आक्षेपित निर्णय अनुमानात्मक था क्योंकि अदालत ने संजय द्वारा जारी रसीद को इसके साथ जोड़ा था अनुबंध, जिसमें बिक्री प्रतिफल 2,30,000/- दिखाया गया है। इस बात पर जोर दिया गया कि मूल अनुबंध कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था या रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया था।

10. श्री संतोष कुमार ने आगे प्रस्तुत किया कि एक निषिद्ध लेनदेन होने के कारण, वादी द्वारा यह कहानी सामने रखी गई कि रुपये की बिक्री का वास्तविक मूल्य। घोषित मूल्य रु. के मुकाबले रु. 2,30,000/- है। 1,30,000/- को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि यह सार्वजनिक नीति के विपरीत था। उन्होंने यह प्रस्तुत करने के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (इसके बाद "बेनामी अधिनियम") पर भी भरोसा किया कि हेनामी लेनदेन पर आधारित किसी भी याचिका को अदालतों में नहीं रखा जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि 30.01.1990 या उसके तुरंत बाद, वादी के बैंक खाते में कोई राशि नहीं थी। वकील ने अंततः तर्क दिया कि प्रतिवादी, संजय की सुसंगत स्थिति यह थी कि वादी को उसके आग्रह पर तीन चेक जारी किए गए थे और बार-बार अनुरोध के बावजूद, वे वापस नहीं किए गए थे। यह लिखित बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया था और मौखिक बयान के दौरान इसे लगातार दोहराया गया था। यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय ने इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज करके गलती की।

11. वादी/प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे को खारिज करने का आधार यह था कि विचाराधीन राशि रुपये की बिक्री पर विचार का हिस्सा थी। 1,30,000/- प्रतिवादी के स्वामित्व वाले प्लॉट के लिए जो बेचा गया है और जिसमें से रु. 50,000/- पहले मिल चुके थे और बाकी रु. 80,000/- उस दिन प्राप्त हुए जब अपीलकर्ताओं को ऋण दिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि रुपये की राशि। वादी को 80,000/- रुपये प्राप्त हुए और अगले दिन, यानी 31.1.1990 को बैंक खाते में जमा कर दिए गए। आगे यह तर्क दिया गया है कि जब यह प्रश्न वादी से पूछा गया, तो उसे बताया गया कि पूरा लेनदेन रुपये के प्रतिफल के

लिए था। 2,30,000/- न कि रु. 1,30,000/- और इसलिए, बैंक खाते में जमा की गई राशि का अपीलकर्ताओं को दिए गए ऋण से कोई लेना-देना नहीं है।

12. टीटी का तर्क है कि पहला समझौता दिनांक 03.7.1989 को रुपये की राशि के लिए निष्पादित किया गया था। 2,30,000/- वादी की ओर से प्रथम अपीलकर्ता द्वारा स्वयं, और वास्तव में वह समझौता प्रथम अपीलकर्ता/प्रतिवादी के सामने जिरह में रखा गया था जहां उसने कहा था कि:

'' यह सही किया गया है कि मेरे हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं पृष्ठ सं। 3 जुलाई को खरीदे गए स्टांप पेपरों में से 3। गवाह ने खुद कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था। स्टांप पेपर केवल निष्पक्ष संचार के नाम पर खरीदा गया था। मेरे हस्ताक्षर पृष्ठ संख्या दो और तीन पर ए से ए तक दिखाई देते हैं। दिनांक 37 जुलाई 1989° के स्टाम्प पेपर के साथ संलग्न (उक्त समझौते दिनांक 3.7.1989 की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है और अनुबंध आर-2 के रूप में चिह्नित है)

13. टीटी से आग्रह किया गया है कि प्रथम अपीलकर्ता ने अपनी जिरह में उक्त दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए; इस प्रकार, स्पष्ट रूप से, तथ्य स्थापित हो गया। दस्तावेज़ का मूल दस्तावेज़ संपत्ति के खरीदार के पास था और इस तथ्य को अपीलकर्ता ने अपने बयान में स्वीकार किया था; इसलिए, इसकी फोटोकॉपी तैयार की गई। दस्तावेज़ केवल यह दिखाने के लिए प्रासंगिक था कि वादी के पास संजय को अग्रिम देने के लिए धन था और जब अपीलकर्ता को ऋण का विस्तार स्वीकार कर लिया गया, तो दस्तावेज़ का कोई महत्व नहीं है।

14. उपरोक्त कथन और प्रस्तुतियों से यह पता चलता है कि वादी इंदौर में अपनी संपत्ति का निपटान करना चाहता था, जहां दूसरा प्रतिवादी, भतीजा रहता था और व्यवसाय करता था। चूँकि पार्टियाँ संबंधित थीं, वादी ने प्रतिवादी पर भरोसा किया और उसे अपना वकील नियुक्त किया। उक्त संपत्ति (एक फ्लैट) की बिक्री के लिए 03.07.1989 को एक बिक्री समझौता किया गया था: यह तथ्य विवादित नहीं है; समान रूप से, यह निर्विवाद है कि इस समझौते के संदर्भ में फ्लैट के लिए प्रतिफल रु. था। 2,30,000/-. यह बात प्रतिवादी संजय ने अपनी गवाही में स्वीकार की थी। यह भी विवादित नहीं है कि क्रेता (जिसने अंततः लेनदेन को अंतिम रूप दिया) के साथ मूल समझौता दिनांक 03.07.1989 का है। दूसरा समझौता 30.11.1989 को किया गया। हालाँकि, इसमें रुपये का कम विचार दिखाया गया। 1,30,000/-. यह भी विवादित नहीं है कि दूसरे अपीलकर्ता संजय को रु. खरीदार से 50,000/- रुपये लिए और वह रकम सुरेंद्र को सौंप दी।

इसके अलावा, 29.01.1990 को, सुरेंद्र, संजय के कहने पर खरीदार, निरंजन सिंह नागरा के साथ सीधे लेनदेन पूरा करने के लिए इंदौर गए। तय रकम भी उन्हें मिल गयी. इसके अलावा, इसमें कोई विवाद नहीं है कि संजय रुपये चाहते थे। 80,000/- और इसे उसके चाचा, वादी, सुरेंद्र ने अपने व्यवसाय के विस्तार के उद्देश्य से दिया था। यहीं पर दोनों पक्षों की राय अलग-अलग हो जाती है: संजय ने आरोप लगाया कि राशि अगले दिन वापस कर दी गई और सुरेंद्र ने उसके द्वारा जारी किए गए उत्तर दिनांकित चेक वापस नहीं किए; सुरेंद्र का आरोप है कि दरअसल संजय ने कभी रकम नहीं लौटाई। ट्रायल कोर्ट को संजय की ओर से दलीलों और परिस्थितियों से सहमत किया गया कि रुपये की राशि। उसी दिन सुरेंद्र के खाते में 80,000/- रुपये जमा हो गए. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने वास्तविक प्रतिफल के संबंध में वादी के रुख पर ध्यान दिया, जो कि रु। दस्तावेज़ में जो दिखाया गया था उसके विपरीत 2,30,000/-, यह कहने के लिए कि सुरेंद्र के खाते में जमा की गई राशि का संजय को उधार दिए गए पैसे से कोई लेना-देना नहीं है।

15. प्रतिवादी/अपीलकर्ता के तर्क दो प्रकार के हैं: एक, कि जिस दस्तावेज़ पर उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष लौटाए वह एक फोटोकॉपी थी और इसलिए, अस्वीकार्य थी; और दो, यह प्रश्न कि क्या बिक्री प्रतिफल रु. 2,30,000/- या रु. 1,30,000/- का भुगतान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह तर्क बेनामी अधिनियम द्वारा गैरकानूनी घोषित निषिद्ध लेनदेन पर आधारित था।

16. जहां तक पहले सवाल का सवाल है, इस अदालत ने नोटिस किया कि वादी ने जिरह के दौरान मामले को अपीलकर्ता/प्रतिवादी के सामने रखा था। उत्तरार्द्ध ने, आश्चर्यजनक रूप से, दस्तावेज़ को स्वीकार कर लिया, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक फोटोकॉपी थी। वादी ने तर्क दिया था कि उस दस्तावेज़ का मूल क्रेता के पास था: इससे इनकार नहीं किया गया था। एक बार इन्हें स्वीकार कर लिया गया, तो रुपये उधार देने के बाद, वादी को अपने तर्क का समर्थन करने के लिए परिणामी संशोधन की मांग करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, जो पूरी तरह से औपचारिक था। <u>प्रतिवादी को 80,000/- रु. जो उसके खाते में जमा हो गया</u>। इस अदालत की राय में, अपीलकर्ता का तर्क निरर्थक है: इस पहलू पर आक्षेपित निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

17. अब अपीलकर्ता के दूसरे तर्क के बारे में, जो यह है कि वादी की दलील है कि बिक्री के लिए वास्तविक प्रतिफल रु. था। 2,30,000/- के मामले में रिटर्निंग निष्कर्ष शामिल है जो

बेनामी लेनदेन पर आधारित याचिका को बरकरार रखेगा, इस अदालत की राय है कि तर्क निराधार है। अधिनियम द्वारा बेनामी को एक लेनदेन के रूप में परिभाषित किया गया है जहां

(ए) जहां एक संपत्ति किसी व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है, या उसके पास होती है, और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है, या भुगतान किया गया है; और

(बी) संपत्ति उस व्यक्ति के तत्काल या भविष्य के लाभ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, के लिए रखी जाती है जिसने प्रतिफल प्रदान किया है।

धारा 3 के कारण *बेनामी* लेनदेन निषिद्ध है; अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में, किसी भी बेनामी लेनदेन के आधार पर किसी मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, न ही कोई बचाव किया जा सकता है।

18. इस न्यायालय की राय में, यह तर्क कि वास्तविक प्रतिफल वर्जित होने के संबंध में वादी की याचिका में कोई दम नहीं है। वादी ने खरीदार से किसी भी राशि की वापसी का दावा नहीं किया; यह मुकदमा किसी बेनामी लेनदेन की जांच से जुड़ी किसी याचिका पर आधारित नहीं है। इसके अलावा, वादी बेनामी मालिक के रूप में कोई दावा नहीं कर रहा है, न ही बचाव का आग्रह कर रहा है कि उसके द्वारा दावा की गई कोई भी संपत्ति या राशि बेनामी लेनदेन है। इसलिए, प्रतिवादी अपीलकर्ता का तर्क स्पष्ट रूप से अप्रासंगिक है।

19. कानून के प्रासंगिक प्रावधान, यानी बेनामी अधिनियम की धारा 3 और 4, इस प्रकार पढ़ें:

"बेनामी लेनदेन पर प्रतिबंध।

3. (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का बेनामी लेन-देन नहीं करेगा.

(2)जो कोई भी बेनामी लेन-देन करेगा, उसे तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(3) जो कोई भी बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रारंभ होने की तारीख पर और उसके बाद किसी भी बेनामी लेनदेन में प्रवेश करता है, उप-धारा (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, के अनुसार दंडनीय होगा। अध्याय VII में निहित प्रावधान. |

(4) [***]

बेनामी रखी गई संपत्ति की वसूली के अधिकार पर प्रतिबंध।

4. (1) जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति है उसके खिलाफ या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ बेनामी रखी गई किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए कोई मुकदमा, दावा या कार्रवाई दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से नहीं की जाएगी। ऐसी संपत्ति का असली मालिक बनना।

(2) बेनामी रखी गई किसी भी संपत्ति के संबंध में किसी भी अधिकार पर आधारित कोई भी बचाव, चाहे वह उस व्यक्ति के खिलाफ हो जिसके नाम पर संपत्ति है या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी मुकदमे, दावे या कार्रवाई में या उसके खिलाफ अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी संपत्ति का असली मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की ओर से..."

20. वल्लियाम्मल (डी.) में एल.आर.एस. बनाम सुब्रमण्यम और अन्य द्वारा। (2004) 7 एससीसी 233, इस न्यायालय ने माना कि यह स्थापित करने का दायित्व कि कोई लेनदेन बेनामी है, उस पर है जो इसका दावा करता है:

"13। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में यह माना है कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी विशेष बिक्री को बेनामी साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो लेनदेन के बेनामी होने का आरोप लगाता है। बेनामी लेन-देन का सार संबंधित पक्ष या पार्टियों का इरादा है और अक्सर, ऐसा इरादा एक मोटे पर्दे में छिपा होता है जिसे आसानी से भेदा नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसी कठिनाइयाँ लेन-देन को बेनामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति को उस पर आने वाली गंभीर जिम्मेदारी के किसी भी हिस्से से राहत नहीं देती हैं, और न ही सबूत के विकल्प के रूप में केवल अनुमानों या अनुमानों को स्वीकार करने को उचित ठहराती हैं। जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हाजरा, कृष्णानंद अग्निहोत्री बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ठाकुर भीम सिंह बनाम ठाकुर कान सिंह, प्रताप सी सिंह बनाम सरोजिनी देवी और व्रजलाल जे. गनात्रा के वारिस बनाम परषोत्तम एस. शाह के वारिस का संदर्भ लें। ऊपर उल्लिखित निर्णयों में यह माना गया है कि यह प्रश्न कि कोई विशेष बिक्री बेनामी है या नहीं, काफी हद तक तथ्य पर आधारित है, और प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कोई पूर्ण सूत्र या एसिड परीक्षण नहीं रखा जा सकता है, जो सभी स्थितियों में समान रूप से लागू हो। इतना कहने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित छह परिस्थितियाँ बताईं जिन्हें लेनदेन की प्रकृति निर्धारित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लिया जा सकता है:

(1). वह स्रोत जहाँ से खरीद का पैसा आया;

(2) टीएफ खरीद के बाद संपत्ति की प्रकृति और कब्ज़ा;

(3) लेन-देन को बेनामी रंग देने का उद्देश्य, यदि कोई हो;

(4) पार्टियों की स्थिति और दावेदार और कथित बेनामीदार के बीच संबंध, यदि कोई हो; एफ (5) बिक्री के बाद स्वामित्व विलेख की हिरासत; और

(6) बिक्री के बाद संपत्ति से निपटने में संबंधित पक्षों का आचरण। (जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजराल, एससीसी पृष्ठ 7, पैरा 6)।

14. उपरोक्त संकेत संपूर्ण नहीं हैं और उनकी प्रभावकारिता प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार भिन्न होती है। फिर भी, वह स्रोत जहां से खरीद का पैसा आया और जिस उद्देश्य से संपत्ति बेनामी खरीदी गई, वह यह निर्धारित करने के लिए अब तक के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण हैं कि क्या एक व्यक्ति के नाम पर की गई बिक्री वास्तव में दूसरे के लाभ के लिए है। हम उपरोक्त दो संकेतकों की कसौटी पर वर्तमान लेनदेन की जांच करेंगे।

18. *यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पार्टियों का इरादा बेनामी लेनदेन का सार है और बेनामी के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए पार्टी द्वारा पैसा प्रदान किया गया होगा। साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मूल वादी के पास रामयी अम्माल के नाम पर संपत्ति खरीदने का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने जो कारण बताया है वह कतई स्वीकार्य नहीं है. वादी को धन के स्रोत का बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया है। मुकदमे में नामित किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई। संबंधित गवाहों से पूछताछ करने में वादी की विफलता उसके मामले को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है।*

इन टिप्पणियों को *बीनापानी पॉल* बनाम *प्रतिमा घोष और अन्य* में दोहराया गया था। 2007 (6) एससीसी 100.

21. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने यह साबित नहीं किया कि लेनदेन (जिसमें वे पक्ष नहीं थे) बेनामी था, इसके विपरीत, अपीलकर्ता का तर्क केवल यह था कि लेनदेन बेनामी नहीं था रुपये से अधिक के प्रतिफल के लिए कहा जा सकता है। *1,30,000/-: धन डिक्री के मुकदमे में बचाव के संदर्भ में।* प्रतिवादी/अपीलकर्ताओं ने कभी नहीं कहा कि वादी या क्रेता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वास्तविक मालिक था; न ही संपत्ति में रुचि, वसूली मुकदमे की विषय वस्तु थी। इसलिए, इस न्यायालय की राय में, आक्षेपित निर्णय के निष्कर्ष और निष्कर्ष उचित हैं।

22. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि अपील में कोई योग्यता नहीं है; तदनुसार, लागत पर आदेश के बिना, इसे खारिज कर दिया गया।

दिव्या पांडे अपील खारिज।

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।